न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

वनं0 58 ए / 2022	तारीख दायरा 06.06.2022	तारीख फैसला 23.01.2023

पीठासीन अधिकारी—हरविन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1— ज्ञान कोर पत्नी स्व0 श्री बीर सिंह जाति जट सिक्ख निवासी शोली रोड दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादनी)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादनी की ओर से — श्री रघुवीर वैष्णव एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से — श्री तहसीलदार दीगोद

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

वादनी की ओर से निम्न आधारो पर यह वाद पत्र पेश किया है कि:—

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादनी व अन्य सहखातेदारान प्रतिवादी नं0 2 व 3 के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 3003/2364 की 0.92 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 संलग्न है।

यह कि वादनी का उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है तथा प्रतिवादी नं0 2 का 1/4 व प्रतिवादी नं0 3 का 1/12 हिस्सा एवं सुनिता का 5/12 हिस्सा दर्ज है।

यह कि ग्राम दीगोद तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदार प्रतिवादी नं0 2 व 3 सुनीता व सोसर बाई के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 2364 की 0.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 2793 की 0.76 हेक्टर, खसरा नम्बर 2795 की 0.75 हेक्टर कुल तीन किता की 1.96 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 संलग्न है।

यह कि वादनी का उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। वादनी के पति का नाम बीर सिंह है किन्तु सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादनी के पति का नाम बीर सिंह के स्थान पर रघुवीर सिंह दर्ज हो गया है जो गलत है जबकि वादनी के पति का नाम बीर सिंह है।

यह कि वादनी के आधार कार्ड बना हुआ है उसमें वादनी के पति का नाम बीर सिंह दर्ज है। तथा ग्राम पंचायत दीगोद द्वारा भी वादनी के पति का नाम बीर सिंह होना अंकित करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया है। वादनी के पति मिलेट्री में थे जिनका देहान्त हो चुका हे जिनकी फेमिली पेंशन वादनी को प्राप्त हो रही है। फेमिली पेंशन के आदेश में वादनी का नाम ज्ञान कौर व पति का नाम बीर सिंह अंकित है।

यह कि वाद कारण प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी के पति का नाम बीर सिंह के स्थान पर रघुवीर सिंह दर्ज कर दिये जाने के कारण वादनी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिनांक 12.05.2022 को वादनी के पति का नाम

व रिकार्ड में दुरूस्त करने से इन्कार करने पर वाद कारण पैदा हुआ है। जिस कारण वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

1– कि ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 3003/2364 की 0.92 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी के पति का नाम रघुवीर सिंह के स्थान पर बीर सिंह अथवा रघुवीर सिंह उर्फ बीर सिंह दर्ज किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2– कि ग्राम दीगोद तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 2364 की 0.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 2793 की 0.76 हेक्टर, खसरा नम्बर 2795 की 0.75 हेक्टर कुल तीन किता की 1.96 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी के पति का नाम रघुवीर सिंह के स्थान पर बीर सिंह अथवा रघुवीर सिंह उर्फ बीर सिंह दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

3– कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवाई जावे।

वादनी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः–

1– नकल जमाबन्दी खाता सं0 125 व 747 ग्राम दीगोद की सम्वत 2071–2074

2– नकल छाया प्रति राशन कार्ड

3– पेंशन आदेश की छाया प्रति

4– वोटर आईडी की छायाप्रति

5– शपथ पत्र ज्ञान कोर

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई।

प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद मय पटवारी हल्का रिपोर्ट के साथ जवाब दावा प्रस्तत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में रघुवीर सिंह व वीर सिंह एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है। एवं वादनी के पति का नाम रघुवरी सिंह के स्थान पर बीर सिंह नाम दुरूस्त करने की अभिशंषा की गयी है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, जवाब सरकार, राजस्व रिकार्ड, पेंशन आदेश , ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र के गहन अवलोकन करने पर वादनी के पति का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। समस्त दस्तावेजात से वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 125 के खसरा नम्बर 3003/2364 की 0.92 हैक्टर भूमि एवं खाता संख्या 747 के खसरा नम्बर 2364 की 0.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 2793 की 0.76 है0, खसरा नम्बर 2795 की 0.75 है0 कुल तीन किता की 1.96 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में ज्ञान कौर पत्नी रघुवीर सिंह के स्थान पर ज्ञान कौर पत्नी बीर सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.1.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगो